S_11

संख्या 61 / IX/2014

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 26 मार्च, 2014

विषय– चिन्यालीसौड़ जनपद उत्तरकाशी के हैलीपोर्ट के उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिन्यालीसौड जनपद उत्तरकाशी में हैलीपोर्ट निर्माण हेतु उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन रू0 4087.84 लाख के आगणन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी कुल धनराशि रू0 3876.78 लाख (रू0 अडतीस करोड छिहत्तर लाख अठहत्तर हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में रू0 1950.665 (रू0 उन्नीस करोड पच्चास लाख छियासठ हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि की स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0रा0नि0नि0 लि0 के पत्र दिनांक 19.03.2014 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 1201.97 लाख (रू0 बारह करोड़ एक लाख सत्तानबे हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1– मितव्ययी मदों मे आवटित सीमा तक की व्यय सीमित रखा जाय, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावाली 2008 एवं ततकम में निर्गत शासनादेशों/नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवटंन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैन्युअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशो के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में

समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

2– उक्त धनराशि का आहरण कर रेखांकित चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, देहरादून को उपलब्ध कराया जायेगी।

3– आगंणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें सिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करा लें।

4– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगंणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है।

5– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगंणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2014 तक अवश्य कर लिया जाय। यदि इस अवधि तक उक्त धनराशि का कुछ भाग अवशेष उपलब्ध हो तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जाय।

7– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8– निर्माण सामाग्री कय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोन प्रचेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।

9– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल से भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य किया जाय।

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2074/XIV-219(2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।

11– कार्य के निर्माण के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 05 अप्रैल, 2004 का अनुपालन किया जायेगा।

12— डी0जी0सी0ए0 एवं एयरपोर्ट आथोरिटी तथा सम्बन्धित विभागों से अनुमोदन/अनापत्ति प्राप्त कर ली जाय।

13— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013—14 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—24 के लेखाशीर्षक—5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय—02—विमान पत्तन—आयोजनागत—800—अन्य व्यय—04—हवाई पट्टी का सुद्धढ़ीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य—24—वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या—948/XXVII(2)/2014, दिनांक 25 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 61 (1)/ IX/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/देहरादून।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून।
6. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण।
8. वित्त अनुभाग—2
9. गार्ड फाईल।
10. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(सचिन कुर्वे)
अपर सचिव।